ख
कम

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज
मु0 नं0 15/2019 (2019/00125) राजेन्द्र बनाम वीरेन्द्र

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

20.06.2023

वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थी ने उनकी ओर से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86(2) सपठित धारा आदेश 47 नियम 1 व धारा 151 सी.पी.सी. के तहत अपील संख्या 142/06 में पारित निर्णय दिनांक 19.05.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये रिव्यू प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील संख्या 142/06 में उभयपक्षकारान के मध्य दिनांक 09.09.2009 को राजीनामा हो गया था जिसे अदालत हाजा द्वारा तस्दीक किया गया था। उक्त राजीनामा के मुताबिक रैस्पों0 व अपीलान्ट द्वारा अपील को मंजूर किये जाने की सहमति प्रकट की थी। परन्तु अदालत हाजा की ओर से वरवक्त निर्णय में त्रुटिवश राजीनामा के अनुसार अपील को स्वीकार करने के स्थान पर खारिज कर दिया गया। जो कि एक कानूनी भूल है जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अदालत हाजा की ओर से पारित आदेश दिनांक 19.05.10 की अपीलान्ट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं हुई। उनके अधिवक्ता द्वारा यह अवगत कराया गया था कि तस्दीकशुदा राजीनामा के आधार पर अपील स्वीकार कर निर्णित कर दी गई है। अतः अदालत में आने की आवश्यकता नही है। राजीनामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजात हो जावेंगे। परन्तु पटवारी हल्का से दिनांक 26.06.2019 को जमाबन्दी की नकल मांगने पर इस तथ्य की जानकारी हुई कि राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं किया गया है। इस पर निर्णय की नकल दिनांक 27.06.2019 को प्राप्त किये जाने पर इस तथ्य की जानकारी हुई कि प्रार्थी अपीलान्ट की अपील वर विनाय राजीनामा के आधार पर स्वीकार होने के स्थान पर त्रुटिवश खारिज कर दी गई है। इससे प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड रहा है। अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा बिना किसी विलम्ब के उक्त प्रार्थना पत्र अदालत हाजा में दिनांक 20.09.2019 को जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद पेश किया गया है। इसलिए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अदालत हाजा की ओर से पारित आदेश दिनांक 19.05.10 को निरस्त किया जावे। तथा राजीनामा दिनांक 09.09.2009 के अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने के आदेश दिये जावे।

वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए वकील अप्रार्थी ने तर्क दिया कि यदि नियमों के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजीनामा के अनुसार पुनः आदेश पारित किये जाते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत रिव्यू संबंधी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया गया तथा बहस सुनी गई व मनन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी/अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में अपील संख्या 120/06 जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 11.08.2006 एवं तहसीलदार रूपवास की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 693 दिनांक 19.01.94 के विरूद्ध राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत द्वितीय अपील दिनांक 21.11.06 को प्रस्तुत की गयी थी। इस अपील में अपीलान्ट व रैस्पों0 के मध्य दिनांक 29.07.2009 को हुये राजीनामा को अदालत हाजा में दिनांक 09.09.09 को प्रस्तुत किया गया। इस राजीनामा को तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा तस्दीक किया गया। उसके बाद अपीलान्ट के अभिभाषक बहस सुनने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.05.10 के द्वारा अपील अपीलान्ट वर विनाय राजीनामा खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये। अदालत हाजा की ओर से पारित आदेश दिनांक 19.05.10 के विरूद्ध प्रार्थी की ओर से राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86(2) सपठित धारा 47 नियम 1 व धारा 151 सी.पी.सी. के तहत दिनांक 23.09.19 को लगभग 9 वर्ष 4 माह पश्चात् रिव्यू संबंधी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पूर्व के आदेश दिनांक 19.05.2010 को निरस्त करने व राजीनामा दिनांक 09.09.09 के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की है। इस संबंध में

20.6.2023

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज<br>मु0 नं0 15/2019 (2019/00125) राजेन्द्र बनाम वीरेन्द्र | नम्ब<br>अहकाम<br>हुक्म की त<br>में जारी हु |
|---|---|---|

20.06.2023

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86(2)का उल्लेख किया जाना आवश्यक है जिसमें कि यह उल्लेख किया है कि प्रत्येक अन्यराजस्व न्यायालय अथवा अधिकार या तो स्वयं अपनी ओर से या हित रखने वाले किसी पक्षकार के आवेदन पत्र पर अपने द्वारा अथवा अपने पद के पूर्वाधिकारियों द्वारा दी गयी किसी आज्ञा का पुनरावलोकन कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसी आज्ञायें दे सकेगा जिन्हें वह उचित समझे। परन्तु यह शर्त है कि प्राइवेट व्यक्तियों के बीच में किसी अधिकार के प्रश्न को प्रभावित करने वाले किसी आज्ञा का पुनरावलोकन, सिवाय कार्यवाही के किसी पक्षकार के प्रार्थना पत्र दिये के, नहीं किया जावेगा तथा ऐसे आदेश का पुनरावलोकन करने के लिये प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। जब तक कि वह ऐसा आदेश होने के 90 दिन के भीतर नहीं दिया गया हो। इस प्रावधान से यह स्पष्ट है कि राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86(2) के तहत रिव्यू संबंधी प्रार्थना पत्र आदेश के 90 दिन के भीतर ही प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ए.आई.आर. 1972 गुजरात प्रष्ठ संख्या 229 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार पुनरावलोकन इस आधार पर नही किया जा सकता कि निर्णय के बाद कतिपय प्राधिकारी से यह मालूम होता है कि पहले वाला निर्णय सही नही है। इसी प्रकार आर.आर.टी 2006(2)पृष्ठ संख्या 715 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार पुनरावलोकन का क्षेत्र बहुत सीमित है। उसे पहले दिये गये निर्णय को दुबारा लिखने अथवा पहले से ही रिकार्ड पर विद्यमान तथ्यों के पुनरीक्षण के लिये प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। पुनरावलोकन संबंधी प्रकरणों में ही 2000(डब्ल्यू.एल.सी.(राज.)पृष्ठ संख्या 711, 2000(4)आर.आर.डब्ल्यू पेज 64 व 2000(3)डब्ल्यू.एल.एन. पेज 290 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अत्यधिक विलम्ब के पश्चात शक्तियों का प्रयोग उचित नहीं है। चूंकि उपरोक्त प्रकरण में अदालत हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 19.05.10 को पारित किया गया है और प्रार्थी की ओर से रिव्यू संबंधी प्रार्थना पत्र लगभग 09 वर्ष 4 माह पश्चात प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का जो कारण बताया गया है वह भी पर्याप्त व उचित नहीं है। प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि उनके अभिभाषक द्वारा राजीनामा के अनुसार अपील निस्तारित किये जाने का अवगत कराया गया था। परन्तु इस संबंध में उनके अभिभाषक या अन्य किसी का कोई शपथ पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रिव्यू संबंधी प्रार्थना पत्र उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है। यदि प्रार्थी अदालत हाजा की ओर से पारित आदेश दिनांक 19.05.10 से व्यथित है तो इसके लिए सक्षम न्यायालय में अपील/नजरसानी दायर करने हेतु स्वतंत्र है। परन्तु इतने विलम्ब के पश्चात प्रस्तुत किये गये रिव्यू संबंधी प्रार्थना पत्र के आधार पर अदालत हाजा की ओर से पारित आदेश दिनांक 19.05.10 में किसी प्रकार का कोई संशोधन या हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रार्थी की ओर से राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86(2) के तहत आदेश दिनांक 19.05.10 को संशोधित किये जाने के संबंध में प्रस्तुत रिव्यू संबंधी प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 20.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.6.2023

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर